



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 3 0824 / 05-627-2024 / 2024,

दिनांक: 17 सितम्बर, 2024

सेवा में,

प्रबन्धक,
मोहन मेमोरियल प्रयाग महाविद्यालय,
मझौली, झारोक्ला, दुद्धी,
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 06.07.2024 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ता पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के आधार पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी द्वारा अधिवर्षिता आयु तक शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में कतिपय शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता/विषय	पदनाम	आधार कार्ड नं0
1.	श्री भानेश्वर सिंह पटेल	श्री फतेह बहादुर पटेल	31.05.1983	नेट, शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता बी0एड0	660412109149
2.	श्री आनन्द कुमार मौर्या	श्री लल्लन प्रसाद मौर्या	12.04.1992	नेट, एम0काम0	प्रवक्ता बी0एड0	457845764220
3.	श्री उमेश चन्द्र	श्री मनदेव कन्नौजिया	09.07.1989	नेट, शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता बी0एड0	972170378825
4.	श्री विवेक सिंह	श्री ज्ञान चन्द सिंह	12.08.1990	नेट, साहित्य	प्रवक्ता बी0एड0	301974272354
5.	श्री अजीत शुक्ला	स्व0 जनार्दन प्रसाद शुक्ला	16.05.1985	नेट, हिन्दी	प्रवक्ता बी0एड0	281181097716
6.	श्री चन्द्रशेखर प्रजापति	श्री गोपाल प्रजापति	22.07.1982	नेट, अंग्रेजी	प्रवक्ता बी0एड0	266204963310
7.	श्री बृज राज मौर्या	श्री बन्दीराम मौर्या	06.11.1975	नेट, राजनीतिशास्त्र	प्रवक्ता बी0एड0	851771615764
8.	श्री प्रणव कुमार चौबे	श्री राधेश्याम चौबे	24.07.1983	नेट, इतिहास	प्रवक्ता बी0एड0	331705806875
9.	श्री रजनीश कुमार शुक्ला	श्री सभाशंकर शुक्ला	20.03.1983	नेट, प्रा0 इतिहास	प्रवक्ता बी0एड0	557458377577
10.	श्री अश्वनी कुमार द्विवेदी	श्री संगम लाल द्विवेदी	23.06.1982	नेट, गणित	प्रवक्ता बी0एड0	622927357757
11.	श्री बृजेश कुमार यादव	श्री केशव प्रसाद यादव	25.08.1987	नेट, वनस्पति विज्ञान	प्रवक्ता बी0एड0	840739311770
12.	श्री वेद प्रकाश पाण्डेय	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय	15.07.1987	नेट, वनस्पति विज्ञान	प्रवक्ता बी0एड0	344038180784
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार	श्री कंचन यादव	22.03.1985	नेट, एम0पी0एड0	प्रवक्ता बी0एड0 शारीरिक शिक्षा	771566321883
14.	श्री संदीप कुमार	श्री लाल बहादुर पटेल	07.08.1996	नेट, एम0एफ0ए0	प्रवक्ता बी0एड0 चित्रकला	455480113165
15.	श्री अंकुर उपाध्याय	श्री आनन्द बिहारी उपाध्याय	05.06.2001	नेट	प्रवक्ता बी0एड0 संगीत	361000157541

- संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा0 कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार अनुमन्य होगा।


.....2

4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अधोलिखित चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा किसी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के साथ ही 30 दिन के अन्दर इनका अनुबन्ध पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) लागू किया जाना अनिवार्य है। ई0पी0एफ0 कटौती न किये जाने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी, तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपस्थित पंजिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी। साथ ही अवगत कराना है कि विभागाध्यक्ष पद पर चयनित डॉ0 धर्मेन्द्र शुक्ला का अनुभव/सेवा सत्यापन के पश्चात् अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै0स0, कुलपति - मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, मा0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

/
कुलसचिव